

I/375687/2023

811
संख्या- /53-2-2023

प्रेषक,

डा० रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- (1) दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास, उत्तर प्रदेश/
मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन।
- (2) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
- (3) निदेशक,
प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 25 अगस्त, 2023

विषय:-“नन्द बाबा दुग्ध मिशन” के अन्तर्गत प्रदेश के पशुपालकों द्वारा प्रदेश के बाहर से स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायों के क्रय को प्रोत्साहित करने हेतु “मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना” के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। वर्तमान राज्य सरकार के लोक कल्याण संकल्प पत्र-2022 में उल्लिखित “नन्दबाबा दुग्ध मिशन” को मूर्त रूप देने हेतु प्रदेश में दुग्ध उत्पादकता में त्वरित वृद्धि किये जाने का संकल्प लिया गया है। प्रदेश की स्वदेशी नस्ल की गायों की औसत दुग्ध उत्पादकता 3.94 कि० ग्रा० प्रतिदिन है, जबकि देश में स्वदेशी गायों की औसत दुग्ध उत्पादकता 4.07 कि० ग्रा० प्रतिदिन है। पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 387 ग्राम है जबकि देश की प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 427 ग्राम है। प्रदेश में दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि कर प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाये रखने, प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में वृद्धि कर राष्ट्रीय औसत दुग्ध उपलब्धता के स्तर पर लाने, स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायों की संख्या में वृद्धि करने एवं स्वदेशी गायों के नस्ल सुधार हेतु पशुपालकों को अभिप्रेरित करने तथा ग्रामीण क्षेत्र के नवयुवकों एवं महिलाओं को पशुपालन के व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित करते हुए रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बाह्य प्रदेशों से स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायों के क्रय पर पशुपालकों को अनुदान व रियायतें देने हेतु नन्दबाबा दुग्ध मिशन के अन्तर्गत “मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना” के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया है।

I/375687/2023

2- इस सम्बन्ध में दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास उ०प्र० प्रदेश के पत्रांक-31/दुग्ध-9/दुग्ध उ०प्र०/नन्दबाबा दुग्ध मिशन, दिनांक 02 मई, 2023 एवं पत्रांक-288/दुग्ध-9/ नन्द बाबा दुग्ध मिशन /2023-24, दिनांक 21 अगस्त, 2023 के क्रम में एवं पशुधन विभाग उ०प्र० तथा अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ विचार-विमर्श के उपरान्त मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि “मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना” के क्रियान्वयन हेतु सम्यक विचारोपरान्त अनुवर्ती प्रस्तरो में निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं।

3- योजना का उद्देश्य :

- (i) प्रदेश में स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायों की संख्या में वृद्धि करना तथा स्वदेशी गायों के नस्ल सुधार हेतु अभिप्रेरित करना।
- (ii) प्रदेश में दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि कर प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाये रखना।
- (iii) प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में वृद्धि कर राष्ट्रीय औसत दुग्ध उपलब्धता के स्तर पर लाना।
- (iv) प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र के नवयुवकों एवं महिलाओं को पशुपालन के व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित करते हुए रोजगार उपलब्ध कराना।

4- योजना का स्वरूप :

- (i) यह योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में चरणबद्ध रूप से लागू होगी। प्रथम चरण में 18 मण्डल मुख्यालय के जनपदों में लागू होगी।
- (ii) स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायों का क्रय अनिवार्य रूप से प्रदेश के बाहर से ही किया जायेगा।
- (iii) मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायों को बाह्य प्रदेश से क्रय कर लाने हेतु एक अनुमति पत्र चयनित लाभार्थी को निर्गत किया जाएगा, जिससे गायों के परिवहन में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
- (iv) क्रय की जाने वाली स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायें प्रथम अथवा द्वितीय ब्यांत की होनी चाहिए।
- (v) क्रय की जाने वाली गाय रोगमुक्त एवं स्वस्थ होनी चाहिए।
- (vi) स्वदेशी उन्नत नस्ल के दुधारू गायों में गिर, साहीवाल, हरियाणा एवं थारपारकर गायें सम्मिलित होंगी।
- (vii) क्रय की जाने वाली दुधारू गायों का दैनिक दुग्ध उत्पादन उस प्रजाति के मानक औसत दुग्ध उत्पादन के अनुसार होना चाहिए।
- (viii) एक दुग्ध उत्पादक/पशुपालक अधिकतम 02 गायों की एक पशुपालन इकाई (प्रोजेक्ट) स्थापित करने हेतु पात्र होगा।
- (ix) क्रय की गयी समस्त गायों का 03 वर्षों का पशु बीमा एकमुश्त कराया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही क्रय किये जाने वाले स्थान/राज्य से पशुपालक के द्वारा इकाई स्थापना के स्थान तक गायों को लाये जाने हेतु ट्रांजिट बीमा भी कराया जाना अनिवार्य होगा।

5- अनुदान हेतु अनुमन्य घटक :

- (i) गाय के क्रय पर व्यय धनराशि।

- (ii) गाय के परिवहन पर व्यय धनराशि।
- (iii) पशु ट्रांजिट बीमा पर व्यय धनराशि।
- (iv) 03 वर्षों हेतु पशु बीमा पर व्यय धनराशि।
- (v) चारा काटने की मशीन (Chaff cutter machine) के क्रय पर व्यय धनराशि।
- (vi) गायों के रख-रखाव हेतु शेड निर्माण पर व्यय धनराशि।

उपर्युक्त घटकों को सम्मिलित कर प्रति इकाई लागत का मूल्यांकन किया जायेगा।

6- प्रति इकाई अनुमन्य अनुदान :

एक इकाई का तात्पर्य प्रति लाभार्थी स्वदेशी उन्नत नस्ल की 02 गायों से है तथा यूनिट कास्ट लगभग रुपये 2.0 लाख माना गया है। बाह्य प्रदेश से स्वदेशी उन्नत नस्ल की दुधारू गाय के क्रय, परिवहन, ट्रांजिट बीमा, 03 वर्षों के लिए पशु बीमा, चारा काटने की मशीन तथा गायों के रख-रखाव हेतु शेड निर्माण पर व्यय कुल धनराशि का 40 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 80000 अनुमन्य होगा।

7- आवेदन हेतु पात्रता :

- i. आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी हो।
- ii. आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो।
- iii. दुग्ध उत्पादक/पशुपालक के पास पशुओं के रखने हेतु पर्याप्त स्थान/शेड उपलब्ध हो।
- iv. दुग्ध उत्पादक/पशुपालक के पास पहले से ही 02 गायों से अधिक स्वदेशी उन्नत नस्ल की गिर, साहीवाल, हरियाणा, थारपारकर एवं संकर प्रजाति की एफ-1 गाय न हो।

8- लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया :

- (i) योजनान्तर्गत 50 प्रतिशत महिला दुग्ध उत्पादकों/पशुपालकों तथा शेष 50 प्रतिशत में अन्य वर्गों को लाभान्वित किया जायेगा। सर्वप्रथम मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन द्वारा प्रदेश के क्षेत्रवार नस्ल की उपयुक्तता का निर्धारण करते हुए तदनुसार प्रत्येक वर्ष जनपदवार लक्ष्य का निर्धारण कर डिस्ट्रिक्ट एक्जीक्यूटिव कमेटी को सूचित किया जायेगा। तदोपरान्त प्रदेश स्तर पर आवेदन हेतु 01 माह का समय देते हुए विज्ञापन सम्पूर्ण प्रदेश में प्रकाशित कराया जायेगा, जिसका विस्तृत विवरण विभागीय पोर्टल के साथ-साथ मिशन के पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगा तथा विज्ञापन जनपद के मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, दुग्धशाला विकास अधिकारी, उप दुग्धशाला विकास अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी एवं खण्ड पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जायेगा साथ ही इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा।
- (ii) योजनान्तर्गत समस्त आवेदन निर्धारित प्रारूप (संलग्नक-1) पर नन्द बाबा दुग्ध मिशन के पोर्टल पर ऑनलाइन किये जायेंगे, परन्तु जब तक नन्द बाबा दुग्ध मिशन का पोर्टल ऑनलाइन नहीं होता है, तब तक पशुपालकों/दुग्ध उत्पादकों द्वारा आवेदन पत्र ऑफलाइन मॉड में सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी अथवा मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित अवधि में रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा सीधे जमा किये जायेंगे।
- (iii) आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर दिये जाने वाले आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रपत्र उपलब्ध कराये जायेंगे :-

I/375687/2023

(क) आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

(ख) इस आशय का नोटरी शपथ पत्र कि उनके द्वारा पहले से ही 02 से अधिक स्वदेशी उन्नत नस्ल की गाय अथवा संकर प्रजाति की एफ-1 गाय का पालन नहीं किया जा रहा है तथा पशुपालन हेतु उनके पास पर्याप्त स्थान उपलब्ध है।

(iv) किसी जिले में निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर डिस्ट्रिक्ट एक्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों पर ई-लॉटरी के माध्यम से पात्र लाभार्थियों का चयन किया जायेगा।

(v) डिस्ट्रिक्ट एक्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा चयनित लाभार्थियों की सूची मिशन मुख्यालय को चयन के 07 दिन के भीतर उपलब्ध करायी जाएगी।

(vi) चयनित लाभार्थियों को, जिन जनपदों में उप दुग्धशाला विकास अधिकारी कार्यालय है, वहां पर उप दुग्धशाला विकास अधिकारी द्वारा तथा अन्य जनपदों में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा, चयन पत्र भेजा जायेगा।

9- क्रय प्रक्रिया :

- चयन पत्र प्राप्ति के बाद लाभार्थी द्वारा 02 माह के भीतर स्वदेशी उन्नत नस्ल की गिर,साहीवाल, हरियाणा अथवा थारपारकर गाय का क्रय किया जायेगा।
- गायों की पहचान हेतु माइक्रोचिप्स/ईयर टैगिंग सिस्टम / पहचान की किसी भी मान्यता प्राप्त प्रणाली से ईयर टैगिंग होना अनिवार्य है।
- पशु क्रय हेतु समस्त विधिक औपचारिकतायें एवं अभिलेख का रख रखाव लाभार्थी द्वारा स्वयं किया जायेगा।

10- अनुदान वितरण की प्रक्रिया :

- प्रथम चरण में चयनित लाभार्थी द्वारा बाह्य प्रदेशों से स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायों को क्रय करने के उपरान्त अधिकतम 01 माह के भीतर अनुदान प्राप्त करने हेतु पुनः आवेदन निर्धारित प्रारूप (संलग्नक-2) पर किया जायेगा। आवेदन के साथ निम्न प्रपत्र उपलब्ध कराने होंगे :-

(क) गाय क्रय से सम्बन्धित रसीद की प्रति।

(ख) ट्रांजिट बीमा से सम्बन्धित अभिलेख की प्रति।

(ग) परिवहन व्यय रसीद की प्रति।

(घ) 03 वर्षों हेतु क्रियाशील पशु बीमा से सम्बन्धित अभिलेख की प्रति।

(ङ) चारा काटने की मशीन के क्रय से सम्बन्धित अभिलेख की प्रति।

(च) गायों के रख-रखाव हेतु शेड निर्माण पर व्यय से सम्बन्धित अभिलेख की प्रति।

(छ) दुग्ध उत्पादक/पशुपालक लाभार्थी के आधार कार्ड की छायाप्रति।

(ज) गायों की पहचान हेतु माइक्रोचिप्स/ईयर टैगिंग सिस्टम/पहचान की किसी भी मान्यता प्राप्त प्रणाली का प्रमाण-पत्र एवं पहचान संख्या।

(झ) सम्बन्धित विकास खण्ड के पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, जिस पर गाय की प्रजाति का स्पष्ट उल्लेख भी किया गया हो।

(') इस आशय का नोटरी शपथ-पत्र कि योजनान्तर्गत स्थापित इकाई से सम्बन्धित परिसम्पति (गायों को सम्मिलित करते हुए) का रख-रखाव कम से कम अगले 03

I/375687/2023

वर्ष तक लाभार्थी द्वारा किया जायेगा। तीन वर्ष के पूर्व यदि परिसम्पत्ति का विक्रय अथवा अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरण किया जाता है, तो अनुदान की चसूली नियमानुसार डिस्ट्रिक्ट एक्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा की जायेगी।

(ट) लाभार्थी के बैंक पासबुक की छायाप्रति/कैन्सिल चेक।

(ii) उपर्युक्त समस्त प्रपत्र, आवेदन के समय लाभार्थी द्वारा स्वतः अभिप्रमाणित करते हुए नन्द बाबा दुग्ध मिशन के पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। जब तक नन्द बाबा दुग्ध मिशन का पोर्टल ऑनलाईन नहीं होता है, तब तक लाभार्थी द्वारा आवेदन पत्र ऑफलाईन मॉड में मुख्य विकास अधिकारी अथवा मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित अवधि में रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा सीधे जमा किये जायेंगे।

(iii) चयनित लाभार्थियों द्वारा स्थापित इकाईयों का स्थलीय सत्यापन :

लाभार्थी से इकाई स्थापना से सम्बन्धित समस्त वांछित अभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त स्थापित की गयी पशुपालन इकाईयों का सत्यापन संयुक्त रूप से सम्बन्धित जनपद के उप दुग्धशाला विकास अधिकारी एवं सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित पशु चिकित्सा अधिकारी की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा।

(iv) आवेदक द्वारा किये गये आवेदन का परीक्षण, मूल्यांकन एवं स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त डिस्ट्रिक्ट एक्जीक्यूटिव कमेटी की संस्तुति प्राप्त की जायेगी। डिस्ट्रिक्ट एक्जीक्यूटिव कमेटी की संस्तुति के आधार पर परीक्षणोपरान्त स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेन्ट यूनिट द्वारा एक माह के भीतर एकमुश्त अनुदान डी० बी० टी० के माध्यम से सीधे सम्बन्धित लाभार्थी के बैंक खाते में अवमुक्त किया जायेगा।

11. नोडल एजेंसी :

योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु 'नन्दबाबा दुग्ध मिशन सोसाइटी' नोडल एजेंसी होगी।

अतएव उपर्युक्त के आलोक में "मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना" के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय

Signed by डा० रजनीश दुवे

Date: 24-08-2023 14:51:45

(डा० रजनीश दुवे) Approved

अपर मुख्य सचिव।

संख्या:- ०११ (1)/53-2-23, तद्विनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) निजी सचिव, मा० दुग्ध विकास मंत्री, उ० प्र० शासन।
- (2) निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन।
- (3) निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ० प्र० शासन।
- (4) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पशुधन, वित्त, ग्राम्य विकास, खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ० प्र० शासन।
- (5) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

I/375687/2023

- (6) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (7) वित्त नियंत्रक, दुग्धशाला विकास उत्तर प्रदेश।
- (8) गार्ड बुक।

आज्ञा से,
करुणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

15-आवेदक -

I. दुग्ध समिति के सदस्य हैं-

☐ (हाँ/नहीं)

II. डेयरी से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्राप्त किये हैं-

☐ (हाँ/नहीं)

16 - निकटतम पशु चिकित्सालय की दूरी (किलोमीटर में)

-

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती.....घोषणा करता/ करती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गयी जानकारी सही है तथा गलत पाये जाने पर मेरे आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जाय।

स्थान-.....

दिनांक-.....

आवेदक का हस्ताक्षर

अनिवार्य अनुलग्नक :

(क) आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

(ख) इस आशय का नोटरी शपथ पत्र कि पहले से 02 से अधिक स्वदेशी उन्नत नस्ल की गाय अथवा संकर प्रजाति की एफ-1 गाय का पालन नहीं किया जा रहा है तथा पशुपालन हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध है।

करुणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

**“मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना” अंतर्गत अनुदान धनराशि स्वीकृत करने हेतु
आवेदन पत्र**

सेवा में,

जिला समन्वयक,
नन्द बाबा दुग्ध मिशन,
जनपद,
उत्तर प्रदेश।

आवेदक का
पासपोर्ट साइज़ का
स्वहस्ताक्षरित
रंगीन फोटो

- 1- लाभार्थी संख्या (चयन पत्र के अनुसार)
- 2- लाभार्थी का नाम
- 3- लाभार्थी के पिता/पति का नाम
- 4- आधार संख्या-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5- उम्र-

वर्ष

माह

दिन

6- लाभार्थी का पता-

.....

.....

.....

पिन-

7-मोबाइल/दूरभाष संख्या-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8- स्थापित इकाई में गायों की संख्या -

9- इकाई स्थापित करने के स्थान का पता -

पिन-

10- इकाई स्थापना पर व्यय का विवरण -

क्र०सं०	मद	धनराशि (रूपये में)
i	गाय के क्रय पर व्यय	₹
ii	गाय के परिवहन पर व्यय	₹
iii	पशु ट्रांजिट बीमा पर व्यय	₹
iv	03 वर्षों हेतु पशु बीमा पर व्यय	₹
v	चारा मशीन पर व्यय	₹
vi	शेड निर्माण पर व्यय	₹
	योग-	

11- इकाई स्थापना पर कुल लागत व्यय-

रूपया (अंकों में)

(शब्दों में)

12- बैंक खाते का विवरण (जिसमें प्रोत्साहन धनराशि अवमुक्त की जानी है)-

- I. बैंक खाता संख्या
- II. बैंक शाखा का नाम
- III. IFSC कोड
- IV. बैंक शाखा का पता

पिन-

मैंपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती.....घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गयी जानकारी सही है तथा गलत पाये जाने पर मेरे आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जाय।
स्थान-.....
दिनांक-.....

लाभार्थी का हस्ताक्षर

अनिवार्य अनुलग्नक :

- (क) गाय क्रय से सम्बन्धित रसीद की प्रति।
- (ख) ट्रांजिट बीमा से सम्बन्धित अभिलेख की प्रति।
- (ग) परिवहन व्यय रसीद की प्रति।
- (घ) 03 वर्षों हेतु क्रियाशील पशु बीमा से सम्बन्धित अभिलेख की प्रति।
- (ङ) दुग्ध उत्पादक/पशुपालक लाभार्थी के आधार कार्ड की छायाप्रति।
- (च) गायों की पहचान हेतु माइक्रोचिप्स/ईयर टैगिंग सिस्टम/पहचान की किसी भी मान्यता प्राप्त प्रणाली का प्रमाण-पत्र एवं पहचान संख्या।
- (छ) सम्बन्धित विकास खण्ड के पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, जिस पर गाय की प्रजाति का स्पष्ट उल्लेख भी किया गया हो।
- (ज) इस आशय का नोटरी शपथ-पत्र कि योजनान्तर्गत स्थापित इकाई से सम्बन्धित परिसम्पत्ति (गायों को सम्मिलित करते हुए) का रख-रखाव कम से कम अगले 03 वर्ष तक लाभार्थी द्वारा किया जायेगा। तीन वर्ष के पूर्व यदि परिसम्पत्ति का विक्रय अथवा अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरण किया जाता है, तो अनुदान की वसूली डिस्ट्रिक्ट एक्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा कर ली जाये।
- (झ) लाभार्थी के बैंक पासबुक की छायाप्रति/कैन्सिल चेक।
- (ट) चयन पत्र की छायाप्रति।

करुणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।